

गन्ने और चीनी का उत्पादन

2088. श्री सोमपाल

श्री रंजन प्रसाद यादव

श्री जे.पी. अवधि

श्रीमती सत्या बहिन

श्री भुनेश्वर सिंह मान :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू चीनी वर्ष में देश भर में गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ और इससे कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ;

(ख) देश में इस समय कितनी चीनी मिलें काम कर रही हैं और उनका राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) चीनी मिल लगाने के लिए कितनी नई इकाइयों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिये हैं और उनका राज्य-वार स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार चीनी उद्योग को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्याणचरण) :

(क) चालू चीनी मौसम 1992-93 के दौरान गन्ने का उत्पादन 2390.2 लाख टन होने का अनुमान है। देश में उत्पादित गन्ने का उपयोग न केवल चीनी बनाने के लिए किया जाता है बल्कि इसका उपयोग अन्य सीढ़ी कारकों जैसे गुड़ और खादसारी के उत्पादन में तथा चूसने, बीज आदि के लिए भी किया जाता है। चालू चीनी मौसम 1992-93 के दौरान 31-3-1993 तक चीनी का कुल उत्पादन 92.29 लाख टन (अंतिम) हो गया था।

(ख) चालू चीनी मौसम 1992-93 (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 391 चीनी मिलें उत्पादन कर रही थीं जिनके विवरण नीचे दिया गया है :-

राज्य	1992-93 चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान उत्पादन कर रही चीनी मिलों की संख्या
1	2
1. पंजाब	18
2. हरियाणा	11
3. राजस्थान	3
4. उत्तर प्रदेश	107
5. मध्य प्रदेश	8
6. गुजरात	14
7. महाराष्ट्र	97
8. बिहार	24
9. आसाम	2
10. उड़ीसा	5
11. पश्चिमी बंगाल	2
12. तामिलनाडु	1
13. आन्ध्र प्रदेश	32
14. कर्नाटक	30
15. तमिलनाडु	32
16. पांडिचेरी	2
17. केरल	2
18. गोवा	1
समस्त भारत	391

(ग) 31-3-1993 को नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए आणख-युक्त औद्योगिक लाइसेंस

प्रदान करने हेतु संबंधित आवेदन पत्रों की राज्य-वार संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं.	राज्य	नई इकाइयों के लिए विचारार्थ संबंधित आवेदन-पत्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	231
2.	महाराष्ट्र	254
3.	आन्ध्र प्रदेश	90
4.	पंजाब	34
5.	उड़ीसा	3
6.	मध्य प्रदेश	14
7.	राजस्थान	2
8.	तमिलनाडु	39
9.	गुजरात	15
10.	हरियाणा	17
11.	बिहार	26
12.	कर्नाटक	57
13.	केरल	1
14.	हिमाचल प्रदेश	1
15.	अरुणाचल प्रदेश	1
16.	आसाम	1
	कुल	786

(घ) और (ङ) लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने के दिक्कत महित वर्तमान लाइसेंस नीति की समीक्षा की जा रही है। तब तक दिनांक 8-11-1991 के प्रेम नोट के तहत अधिसूचित वर्तमान लाइसेंस व्यवस्था जारी रहेगी।

Gyan Bharti School, Saket

2089. SHRI N. E. BALARAM : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the complaints against the Management of the Gyan Bharti School, Saket (New Delhi) such as violating the laws of the Delhi Administration Education Act, bungling and siphoning off of the school funds for other purposes, abnormal increase in the fees etc.;

(b) whether it is a fact that the parents and teachers of this school have been agitating against the mis-management of the school for more than a year;

(c) if so, what are the details in this regard and action taken thereon; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELIA) : (a) to (d) Yes, Sir. According to the information furnished by Delhi Administration,, complaints have been received against Management of the Gyan Bharti School, Saket. Under Section 24 of the Delhi School Education Act, 1973 the Director of Education may arrange special inspection of any school from time to time and give directions to the manager requiring the rectification of any defect or deficiency found at the time of inspection or otherwise in the working of the school. If the manager fails to comply with any direction, the Director of Education may, after considering the explanation or report given by the manager, take such action as considered fit including stoppage of aid, withdrawal of recognition or taking over of the school under Section 20 of the Act except in the case of a minority school. Delhi Administration has further intimated that a special inspection of the school has been conducted for appropriate action under the Act.

Facility Members of HT, Delhi

2090. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE :

SHRI V. NARAYANSAMY :

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of the members of faculty of